


(205)

(81)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल, गवालियर, मध्यप्रदेश, कैम्प रीवा,
जिला—रीवा, (म.प्र.)



R-2772-J/12

1. कृष्णपाल सिंह तनय स्व. राधोभान सिंह
2. विष्णुपाल सिंह तनय स्व. राधोभान सिंह
3. ऋतुराज सिंह तनय स्व. राधोभान सिंह
4. जेवराज सिंह तनय चन्द्रभान सिंह
5. शिरोमणि सिंह तनय चन्द्रभान सिंह,

सभी निवासी मझौली, थाना/तहसील मझौली, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. रामभूषण चतुर्वेदी तनय कामता प्रसाद चतुर्वेदी, साकिन मझौली, थाना/तहसील मझौली, जिला सीधी, (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार मझौली, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय,
जिला सीधी, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 153/निग.
/2011-12 आदेश दिनांक 21.06.2012
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 इस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं:-

1. यह कि अनावेदक क्र. 1 अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, तहसील मझौली के समक्ष आवेदन दिया जिस पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, तहसील मझौली, जिला सीधी के द्वारा पत्र क्र. 1274/प्रवा./

(21) 1/2011

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश र्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R2772. I/12 जिला-मीनौ

हृष्टपाल सिंह विरुद्ध राजभूमि उत्तरी

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री. अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लेक्टर/ अपर क्लेक्टर, जिला मीनौ के प्रकरण क्रमांक 153/प्रा. II/12 में पारित आदेश दिनांक 21-06-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्रो भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।	सदस्य

मझौली के समक्ष आवेदन दिया जिस पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, तहसील मझौली, जिला सीधी के द्वारा पत्र क्र. 1274/प्रवा./

27-3-19